AZAD CGPSC ACADEMY

Unit Of Azad Group

पंचायती राज अधिनियम

पंचायतों से संबंधित धाराएं

अध्याय – 1

धारा – 1 → संक्षिप्ट नाम, विस्तार, प्रारंभ

2 → शब्दों की परिभाषाएँ

अध्याय – 2 (धारा 3–7) → ग्राम सभा के विषय में।

धारा – 3 → ग्राम के संबंध अधिसूचना – राज्यपाल द्वारा

4 → ग्राम की मतदाता सूची

6 → ग्राम सभा का सम्मेलन

7 → ग्राम सभा का विशेष सम्मेलन/शक्तियाँ/कृब्य

AZAD CGPSC ACADEMY

अध्याय– 3 (धारा 8–41)→ पंचायतों की सरंचना।

धारा – 8 → पंचायतों का गठन

9 → पंचायतों की अवधि

13 → ग्राम पंचायत का गठन

15 → एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध

17 → सरपंच व उपसरपंच का निर्वाचन

18 → बर्हिगामी सरपंच द्वारा कार्यभार का सौंपा जाना

20 → प्रथम सम्मेलन और पदावधि

21 → सरपंच/उपसरंपच के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव

21(क) → ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाना

जनपद पंचायत:

22 → जनपद पंचायत का गठन

25 → अध्यक्ष + उपाध्यक्ष का निर्वाचन

27 → प्रथम सम्मेलन + पदावधि

28 → ज.प. – अविश्वास प्रस्ताव

(नोट → ज. प./जि. प. के सदस्यों को वापस (Recall) नही बुलाया जा सकता)

AZAD CGPSC ACADEMY

धारा –29 → जिला पंचायत का गठन

32 → अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन

34 → प्रथम सम्मेलन + पदावधि

35 → अविश्वास प्रस्ताव

36 → पंचायत के पदाधिकारियों के लिए निरर्हताएँ

37 → पदाधिकारियों का त्यागपत्र

38 → रिक्तियों का भरा जाना

39 → पदाधिकारियों को हटाया जाना

40 → पदाधिकारियों को हटाया जाना

41 → एक से अधिक पढ़ धारण करने का वर्धन

(धारा 29–41: जिला पंचायत)

अध्याय– 4 (धारा –41–43, निर्वाचन आयोग की संचाल)

धारा – 42 → राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ

अध्याय– 5 (धारा 44–48)

धारा – 44 → पंचायत के कामकाज का संचालन

45 → किसी विषय को पुनर्विचार हेतु लाना

46 → ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ

AZAD CGPSC ACADEMY

47 → जनपद/जिला पंचायत स्थायी समितियाँ

47 (क) → त्यागपत्र

47 (ख) → सदस्य या सभापति संबंधित विवाद

48 → सरपंच, उपसरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, की शक्तियाँ व कर्तव्य

अध्याय– 6 (धारा 49–61) → पंचायतों के कृब्य

धारा 49 → ग्राम पंचायत के कार्य

50 → ज. प. के कृब्य

51 → राज्य सरकार के कतिपय कृब्यों को जनपद या जिला पंचायत को सौंपना।

53 – 61 → पंचायतों की शक्तियाँ

अध्याय– 6 (क)– (धारा 61(क) से 61(छ)

→ कालोनी निर्माण

AZAD CGPSC ACADEMY

अध्याय– 7 (धारा 62–68) → पंचायत विधि और सम्पदित

धारा 64 → सहायता अनुदान

66 → पंचायत विधि

अध्याय– 8 (धारा 69–73) → सचिव, मुख्या कार्यपालन अधि. , बजट, लेखा

धारा – 69 → सचिव मु. का. अधि. की नियुक्ति

↓

72 → काम

73 → बजट और लेखा

अध्याय– 9 (धारा 74 to 83) → निंयत्रण

धारा – 84 → पंचायत के कार्यो का निरीक्षण – राज्य सरकार द्वारा इसके लिये किसी अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

88 → पंचायत के कार्यकलापों की जांच

- ग्राम पंचायत के लिए → कलेक्टर द्वारा नियुक्त ऐसा व्यक्ति जो द्वितीय श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो।
- ज.प./जि.प. के –लिये → राज्य सरकार

AZAD CGPSC ACADEMY

धारा – 90 → पंचायतों व अन्य प्राधिकरणों के मध्य विवाद

↳ यदि 2 पंचायतों के मध्य विवाद धारा → राज्य सरकार द्वारा निपटारा

↳ यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य→ राज्य सरकार (इसके लिए राज्य सरकार केन्द्र सरकार से अनुशंसा लेगी, उसके बाद निर्णय राज्य सरकार द्वारा)

अध्याय– 11 (नियम व उपविधियाँ) → धारा(95–97)

धारा – 95 → नियम बनाने की शक्ति

96 → उपविधियाँ

अध्याय– 12 (धारा – 98 से 106) → शास्ति → विधि के उल्लंघन पर दण्ड

AZAD CGPSC ACADEMY

धारा – 98 → निरर्हित हो जाने पर पंच, सरपंच, उपसरंपच, सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की हैसियत के कार्य करने के लिए 50 रू.(पंच, सदस्य) तथा 100 रू. (सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष) प्रतिदिन का अर्शदण्ड।

100 → किसी सदस्य, पदाधारी या सेवक द्वारा संविदा में हित अर्जित करने के लिए शास्ति।

102 → पंचायत के सदस्य को कार्य में बाधा पहुँचाने पर शास्ति (250रू)

103 → सूचना को हटाने या मिटाने पर शास्ति (50 रू)

104 → मिथ्या जानकारी देने पर शास्ति (250 रू)

अध्याय– 13 (प्रकीर्ण) → (धारा 107 – 128)

धारा 115 → पंचायत की धन उधार लेने की शक्ति ।

121 → निर्वाचन मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन

126 → ग्राम पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन

127 → खण्ड तथा जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन स्थापना द्वारा

अध्याय– 14 (संपरीक्षा)

धारा 129 → पंचायतों की संपरीक्षा (राज्य सरकार द्वारा अधिकारी की नियुक्ति, संगठन का निर्माण तथा उसका एक Head बनाया जाता हैं।

अध्याय– 14(क) → <u>अनुसुचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशेष उपबंध</u>

AZAD CGPSC ACADEMY

↳ धारा 129 (क) – 129(च) → जिला, जनपद पंचायत की शक्तियाँ

(129 (क) ↓ परिभाषा)

129 (ख) → ग्राम तथा ग्राम सभा गठन

129 (ग) → ग्राम सभा की शक्तियाँ व कृब्य

129 (घ) → ग्राम पंचायत के कृब्य

129(ड.) → स्थानों का आरक्षण

अध्याय– 15 (निरसन) → (धारा 130–132)→व्यय, भत्ते।

अन्य अधिनियम

→ छ.ग. बालको का निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010

→ छ.ग. गौण खनिज निमय 2015

→ छ.ग. लोकसेवा गांरटी अधि. 2011

→ ग्राम न्यायालय अधि. 2008

→ छ.ग. फ्वांयत (यात्रा भत्ता) अधि. 1995

AZAD CGPSC ACADEMY

पंचायती राज के संबंध में 29 विषय

01. कृषि, कृषि विस्तार सम्मिलित करते हुये।
02. भूमि सुधार एवं भूमि संराक्षण।
03. लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल फैलाव विकास।
04. पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन।
05. मत्स्यपालन।
06. सामाजिक वानिकी और कृषि – वानिकी।
07. लघु– वनोपज।
08. खाद्य, ग्राम तथा कुटीर उद्योग।
09. खादी, ग्राम तथा कुटीर उद्योग।
10. ग्रामीण आवास।
11. पेयजल।
12. ईंधन तथा चारा।
13. सड़क, पुलिया, पुल पार घाट (फैरिज), जल मार्ग तथा आवागमन के अन्य साधन।
14. विद्युत का वितरण सम्मिलित करते हुए ग्रामीण विद्युतीकरणं
15. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत।

AZAD CGPSC ACADEMY

16. गरीबी– उन्मूलन योजना।
17. प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयो को सम्मिलित करते हुए शिक्षा।
18. तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा।
19. प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा।
20. पुस्तकालय।
21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप।
22. बाजार तथा मेले
23. अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र तथा औषधालयों को सम्मिलित करते हुये, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता।
24. परिवार कल्याण।
25. महिला एवं बाल विकास।
26. विकलांग और मासिक रूप से बाधियों को सम्मिलित करते हुये समाज–कल्याण।
27. कमजोर वर्गों का कल्याण विशेयतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का।
28. लोक वितरण पद्धति।
29. सामुदायिक अस्तियों का संधारण।

AZAD CGPSC ACADEMY

6. पंचायत का पदधारी होने के लिए निरर्हताएं। अनु.–243(F) (Disqualification for being office-bearer of Panchayat)

इस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति किसी पंचायत के पदाधिकारी नही हो सकता यदि–

- ❖ यदि पागल (विकृत चित्त) हो तो।
- ❖ दिवालिया घोषित कर दिया गया हो तो।
- ❖ आयु 21 वर्ष से कम हो तो।
- ❖ 21–30 वर्ष हो और साक्षर न हो तो। (किन्तु 30 वर्ष से अधिक आयु का हो और साक्षर न हो, तो भी पात्र होगा)
- ❖ पंचायत के अधीन लाभ का पद धार करता हो
- ❖ केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, सहकारी सोसायटी एवं सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर हो।
- ❖ विभिन्न शासकीय संस्थाओं से भ्रष्टाचार या निष्ठाहीनता के चलते पद से निकाला गया हो।
- ❖ पंचायत के साथ किसी भी संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई अंश हो।
- ❖ किसी ऐसे समाचार पत्र में जिसमें पंचायत के क्रियाकलापों से संबंधित विज्ञापन दिया गया है उसमें कोई भी हित या अंश हो।
- ❖ पंचायत की ओर से वैतनिक विधि व्यवसायी नियोजित किया हो।

AZAD CGPSC ACADEMY

- स्वेच्छा से विदेशी स्थल या परिसर में निर्वाचित होने के एक वर्ष के बाद ही जलवाहित शौचालय न बना हो।
- पंचायत का कोई बकाया राशि जो मांग सूचना के 30 दिन के बाद भी जमा न किया गया है।
- किसी पंचायत भवन या सहकारी भवन पर अतिक्रमण किया हो।
- यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराया गया है और उसकी सजा 6 माह से अधिक है तो उस व्यक्ति द्वारा सजा पूर्ण होने की तारीख से 5 वर्ष तक चुनाव नही लड़ा जा सकता ।
- नम निर्देशन प्रस्तुत करने से पूर्ववर्ती पांच वर्ष की काल अवधि में अयोग्य घोषित किया गया है तथा जब तक इस प्रकार अयोग्यता की अवधि कम या समाप्त न कर दी गई हो तब त चुनाव नही लड़ सकता।
- राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाये गये किसी कानून में अयोग्य घोषित किया गया हो।

यदि कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधारी निर्वाचित हो जाने पर ऊपर वर्णित किसी निरर्हताए के अधीन होता है। या पंचायत के विरूद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजन स्वीकार करता है। या पंचायत के इजाजत के बीना या उसकी समिति के लगातार तीन सम्मिलनों में अनुपस्थित रहता है या छः महिनों के बीच हुए सम्मिलनों में से आधे से अधिक में उपस्थित नहीं होता है वह पंचायत पदधारी नही रह जाता है और उसका पद रिक्त हो जायेगा।

AZAD CGPSC ACADEMY

कोई भी व्यक्ति एक सरपंच या उपसरपंच बन सकता है जो–

- ★ पंच के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य है।
- ★ संसद के किसी सदन या राज्य विधानसभा का सदस्य न हो।
- ★ किसी सहकारी सोसायटी का सभापति उप–सभापति न हो।
- ★ सरकारी नौकरी में न हो। (लाभ के पद पर)
- ★ 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। (किन्तु मतदान करने का उम्र 18 वर्ष है।)

नोट – पूर्व में पंच पद हेतु 5वीं पास एवं पंच से ऊपर पदधारी के लिए 8वी उतीण होना अनिवार्य था किन्तु पंचायती राज कानून संशोधन 2019 के तहत् शिक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर साक्षर का प्रावधान किया गया है।

Online/ Offline Batch
IAS,UPPCS, RO/ARO, BPSC, UKPSC, CGPSC, MPPSC, RPSC, JPSC Exam की आसान भाषा में सम्पूर्ण तैयारी के लिए Azad IAS Academy App Download कीजिए
www.azadiasacademy.com
M.9115269789

Our Publication
अब आप सभी घर बैठे ही IAS,UPPSC,BPSC, MPPSC, RAS,CGPSC,UKPSC,JPSC,UPSSSC Exam एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बुक आईर कर सकते है, समग्र भारत में पुस्तकों की Delivery उपलब्ध है,
www.azadpublication.com
M.8929821970

Our Foundation
Azad Publication, Azad Group का Charitable Trust है जिसका मुख्य लक्ष्य राष्ट्र की सामाजिक समस्याओं के निदान के निदान हेतु प्रखर रूप से कार्य करना हेतू हैं एवं पर्यावरण संरक्षण, पशु सेवा, आपदा रहित, शिक्षा, स्वास्थएवं विभिन्न जन समस्याओं का जन जागरूकता के माध्यम से राष्ट से में अग्रणी भूमिका निभानी हैं।
www.azadfoundation.net
Unitofazadgroup@gmail.com

ACADEMY